राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र प. 8(9)(6)Elec./08/1164 जयपुर, दिनांक 12.04.2013

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान

विषय :– निर्वाचन कार्य एवं मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण/अद्यतन कार्य हेतु शिक्षकों को काम में लेने के संबंध में।

प्रसंग :– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 509/65/2003/J.S.I दिनांक 28.01.08 एवं 23/2007/ERS दिनांक 28.01.08

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 509/65/2003/J.S.I दिनांक 28.01.08 के द्वारा निर्वाचन कार्य में अध्यापकों को काम में लेने के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. वर्तमान में मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया जाता है। यदि रवानगी का दिन (जिस दिन अधिकांश मतदान दलों को रवाना किया जाये) विद्यालयों में अध्यापन का दिन (teaching day) हो तो ऐसे विद्यालयों में, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उस दिन स्थानीय अवकाश (local holyday) भी घोषित किया जाना चाहिये।
2. जब कभी भी अध्यापकों को पीठासीन अधिकारियों और अन्य मतदान अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाये, उनके लिये प्रशिक्षण सत्र यथासाध्य अवकाशों पर आयोजित किये जावें।

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण/अद्यतन कार्य एवं बूथ लेवल अधिकारियों के रूप में अध्यापकों को काम में लेने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2007/ERS दिनांक 28.01.08 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. जहाँ कहीँ भी अध्यापन स्टॉफ को नामावली पुनरीक्षण की ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O.)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (E.R.O.) इस कार्य के लिये अवकाशों और अध्यापनेतर दिनों (non-teaching days) और अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) को ड्यूटी कालावधि के रूप में विहित करेंगें। ऐसे नियुक्त किये गये व्यक्तियोँ को, नामावली पुनरीक्षण कार्य अध्यापन दिनों (teaching day) अध्यापन समय (teaching hours) में नहीं करने के लिये कहा जा सकता है। नामावली पुनरीक्षण के दौरान, जहाँ कहीं भी अध्यापकों को, मतदाताओ को प्ररूप (प्ररूप 6, 7 आदि) उपलब्ध कराने के लिये और मतदाताओं से प्ररूप प्राप्त करने के लिये पदाभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है,

जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O.)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (E.R.O.) ऐसे प्ररूपों को उपलब्ध करानें और प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) के दौरान विनिर्दिष्ट समय विहित करेगा। अधिमान रूप से अध्यापन समय (teaching hours) की समाप्ति के ठीक पश्चात एक घंटे के समय को उस प्रयोजन के लिये नियत किया जायेगा। प्रचलित अध्यापन समय (prevailing teaching hours) पर निर्भर करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O.)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (E.R.O.) विनिर्दिष्ट अनुदेश जारी करेगा और उसे पहले ही समस्त राजनैतिक दलों और जनता की जानकारी में लायेगा।

2. जहाँ कहीं भी पुनरीक्षण कालावधि के दौरान विशेष अभियान तारीखें विहित की जायें, ऐसे अभियान निरपवाद रूप से (invariably) केवल अवकाश के दिनों में ही आयोजित किये जावेंगे।

3. जब गहन पुनरीक्षण (intensive revision) आदिष्ट (ordered) किया जाना हो, पुनरीक्षण की अनुसूची अवकाशों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनायी जायेगी। यदि अध्यापन दिनों (teaching days) में घर–घर जाकर सत्यापन किया जाना हो तो ऐसा सत्यापन अध्यापन समय (teaching hours) के पश्चात और अवकाशों में करने के लिये कहा जा सकता है।

4. जब कभी भी अध्यापकों को फोटो नामावली आदि में फोटो बेमेल (photo mismatch) होने के मामलों का पता लगाने हेतु घर–घर जाकर सत्यापन के प्रयोजन के लिये बूथ स्तरीय अधिकारियों के रूप में लगाया जाता है तो कवायद (exercise) अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) और अवकाशों के दौरान की जायेगी।

5. जब कभी भी आवश्यकता हो, इस प्रयोजन के लिये प्रगणन कार्य (enumeration work) की कालावधि को बढ़ाया जा सकेगा ताकि प्रगणन कार्य (enumeration work), अध्यापन समय को बाधित (hampering) किये बिना संचालित हो जाये।

आयोग के उपरोक्त निर्देशों की पालना हेतु आयोग के उक्त पत्रों की प्रतियाँ आपको विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 350 दिनांक 12.02.08 एवं इन पत्रों का हिन्दी अनुवाद विभाग के समसंख्यक पत्रांक 868 दिनांक 31.03.08 के द्वारा प्रेषित किये गये थे। उक्त पत्रों की प्रतियाँ सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। निर्वाचन कार्य एवं मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण / अद्यतन कार्य में अध्यापकों के लगाये जाने पर भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देशों की पालना की जावे।

जहाँ अध्यापकों को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहाँ उनके द्वारा बूथ लेवल अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निर्वहन अवकाश के दिनों में एवं अध्यापनेतर दिवसों एवं अध्यापनेतर समय में किया जावेगा। इनका प्रशिक्षण एवं

बैठकों का आयोजन भी अध्यापन दिवसों एवं अध्यापन समय में आयोजित नहीं किये जावें ताकि इनके अध्यापन का कार्य बाधित नहीं हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन
अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

क्र प. 8(9)(6)Elec./08/1164 जयपुर, दिनांक 12.04.2013

प्रतिलिपिः–

1 भारत निर्वाचन आयोग के पत्रों की प्रतियाँ सहित समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2 रोल्स शाखा

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

By Fax/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

NARENDRA N. BUTOLIA
UNDER SECRETARY

No.509/65/2003/J.S.I **Date**: 28.01.08

To

The Chief Electoral Officers
of all States & Union Territories,

Sub.-Use of teachers in election work.

Sir,

I am directed to say that the Hon'ble Supreme Court has passed its judgement and order on 06.12.07 in C.A 5659 of 2007 filed by the Commission against the judgement and order dt. 11.08.04 passed by a Division Bench of the Delhi High Court in W.P.C No.-1076 of 2003-St. Mary's School Vs. U.O.I & Othrs.

The Hon'ble Supreme Court has directed that teaching staff shall be put on duty of roll revision and election works on holidays and non-teaching days. The Court has further directed that teachers should not ordinarily be put on duty on teaching days and within teaching hours and non-teaching staff, however, may be put on such duty on any day and any time, if permissible in law.

Regarding use of teachers in electoral roll revision work, the Commission has issued a separate instruction vide its letter dated 28.01.08. With regard to use of teachers in other election related work, in view of the Supreme Court judgement, the Election Commission issues the following directions:-

As of now, a holiday is declared on poll day. The Commission desires that if the day of dispatch (the day most of the polling parties are dispatched) happens to be teaching day for the schools, then that day should also to be declared a local holiday for the schools wherever necessary. The Commission further directs that whenever teachers are appointed as Presiding Officers and other polling officers, the training session for them shall be conducted, as far as practicable, on holidays.

This shall be brought to the notice of all concerned.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)

By Fax/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

ASHISH CHAKRABORTY
UNDER SECRETARY

PS|CEO/08/1860
8.2.08

No. 23/2007/ERS Date: 28.01.08

To

The Chief Electoral Officers
of all States & Union Territories,

Sub.-Revision of electoral rolls-deployment of teachers regarding.

Sir,

I am directed to say that the Hon'ble Supreme Court has passed its judgement and order on 06.12.07 in C.A 5659 of 2007 filed by the Commission against the judgement and order dt. 11.08.04 passed by a Division Bench of the Delhi High Court in W.P.C No.-1076 of 2003-St. Mary's School Vs. U.O.I & Others.

The Election Commission of India, in the above litigation had stated before the Hon'ble Court that, as far as possible, teachers would be put on electoral roll revision work on holidays, non-teaching days and non-teaching hours; whereas non-teaching staff be put on duty any time. On this, the Hon'ble Supreme Court has directed that all teaching staff shall be put on duty of roll revision and election works on holidays and non-teaching days. The Court has further directed that teachers should not ordinarily be put on duty on teaching days and within teaching hours and non-teaching staff, however, may be put on such duty on any day and any time, if permissible in law.

In the context of electoral roll revision, the teachers are normally used in two capacities, i.e, as designated officer and as a Booth Level Officer. The Commission earlier had given instructions that in the appointment of BLOs, the use of teachers shall be avoided as far as possible. However, it is noticed that due to paucity of other Govt. staff in adequate numbers, the teachers are still being used as BLOs.

Considering the above situation and in view of the order of the Hon'ble Supreme Court, the Election Commission has directed as follows:-

1. Wherever teaching staff is put on duties of roll revision, the DEOs/EROs, shall prescribe holidays and non-teaching days and non-teaching hours as duty period for this work. Such appointees may be asked to avoid teaching

JtEO
2/2
2/2
AERO

days and teaching hours for undertaking the roll revision work. During roll revision, wherever the teachers are appointed as designated officers to make various Forms (Form-6, 7 etc.) available to the voters and to receive the Forms from the voters, the DEOs/EROs shall prescribe a specific time during non-teaching hours for the purpose of providing and receiving such Forms. Preferably, minimum of one hour time immediately after the closure of teaching hours can be earmarked for this purpose. Depending on the prevailing teaching hours, the DEO/ERO shall issue specific instruction and bring the same to the knowledge of all political parties and to the public well in advance.

2. Wherever special campaign dates are prescribed during the revision period, such campaign shall invariably be held on holidays only.

3. When an intensive revision is to be ordered, the schedule for revision shall be devised keeping the availability of holidays in mind. If the door-to-door verification has to be done on teaching days, such verification may be asked to be done after teaching hours and on holidays.

4. whenever the teachers are used as Booth Level Officers for the purpose of door-to-door verification, for finding out cases of photo mismatches in the photo roll etc., the same exercise shall be done during non-teaching hours and on holidays.

5. Whenever needed, the period for enumeration work may be extended for this purpose so that the enumeration work is carried out without hampering the teaching hours.

This may be brought to the notice of all concerned.
Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

नरेन्द्र एन. बुटोलिया
अवर सचिव

सं. 509/65/2003/जे.एस.आई. दिनांकः 28.01.08

प्रेषिती,

समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विषय :– निर्वाचन कार्य में अध्यापकों को काम में लेना

महोदय,

निदेशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रि.पि.सि.सं. (W.P.C.No.) 1076/2003 सैन्ट मैरी'ज स्कूल बनाम भारत संघ और अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.08.04 के विरुद्ध आयोग द्वारा दाखिल 2007 की सी.ए. 5659 में दिनांक 6.12.07 को अपना निर्णय और आदेश पारित किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदिष्ट किया है कि नामावली पुनरीक्षण और निर्वाचन कार्यों की ड्यूटी पर अध्यापन स्टाफ (teaching staff) को अवकाशों (holidays) और अध्यापनेतर दिनों (non-teaching days) में लगाया जायेगा। न्यायालय ने यह और निदिष्ट किया है कि अध्यापकों को अध्यापन दिनों (teaching days) में और अध्यापन समय (teaching hours) के भीतर सामान्यतः ड्यूटी पर नहीं लगाया जाये। तथापि, अध्यापनेतर स्टाफ (non-teaching staff) को ऐसी ड्यूटी पर किसी भी दिन और किसी भी समय, यदि विधि में अनुज्ञेय हो, लगाया जा सकता है।

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य में अध्यापकों को काम में लेने के संबंध में, आयोग ने अपने पत्र दिनांक 28.01.08 द्वारा एक पृथक् अनुदेश जारी किया है। निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों में अध्यापकों को काम में लेने के संबंध में, निर्वाचन आयोग ने, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित निदेश जारी किये हैं :–

वर्तमान में मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया जाता है। आयोग चाहता है कि यदि रवानगी का दिन (जिस दिन अधिकांश मतदान दलों को रवाना किया जाये) विद्यालयों में के अध्यापन का दिन (teaching day) हो तो ऐसे विद्यालयों में, जहां कही भी आवश्यक हो, उस दिन स्थानीय अवकाश (local holiday) भी घोषित किया जाना चाहिए। आयोग यह और निदिष्ट करता है कि जब कभी भी अध्यापकों को पीठासीन अधिकारियों और अन्य मतदान अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाये, उनके लिए प्रशिक्षण सत्र यथासाध्य (as practicable) अवकाशों पर आयोजित किया जायेगा।

इसे समस्त संबंधित की जानकारी में लाया जायेगा।

कृपया प्राप्ति अभिस्वीकार करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र बुटोलिया)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आशीष चक्रवर्ती
अवर सचिव

सं. 23/2007/ई.आर.एस. दिनांकः 28.01.08

प्रेषिती,

समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विषय :– निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण–अध्यापकों के अभिनियोजन के संबंध में

महोदय,

निदेशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रि.पि.सि.सं. (W.P.C.No.)1076/2003 सैन्ट मैरी'ज स्कूल बनाम भारत संघ और अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.08.04 के विरुद्ध आयोग द्वारा दाखिल 2007 की सी.ए. 5659 में दिनांक 6.12.07 को अपना निर्णय और आदेश पारित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने उपर्युक्त मुकदमे में माननीय न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया है कि अध्यापकों को निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य में यथासंभव अवकाशों, अध्यापनेतर दिनों (non-teaching days) और अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) में लगाया जायेगा ; जबकि अध्यापनेतर स्टाफ (non-teaching staff) को किसी भी समय ड्यूटी पर लगाया जायेगा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदिष्ट किया है कि समस्त अध्यापन स्टाफ (teaching staff) को नामावली पुनरीक्षण और निर्वाचन कार्यों की ड्यूटी पर अवकाशों और अध्यापनेतर दिनों (non-teaching days) पर लगाया जायेगा। न्यायालय ने यह और निदिष्ट किया है कि अध्यापकों को सामान्यतः अध्यापन दिनों (teaching days) में और अध्यापन समय (teaching hours) के भीतर ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा, तथापि, अध्यापनेतर स्टाफ (non-teaching staff) को किसी भी दिन और किसी भी समय ऐसी ड्यूटी पर, यदि विधि में अनुज्ञेय हो, लगाया जा सकता है।

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के संदर्भ में, अध्यापकों को सामान्यतः दो हैसियतों (capacities) से, अर्थात् पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer) के रूप में और बूथ स्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer) के रूप में ही काम में लिया जाता है। आयोग ने पूर्व में अनुदेश दिये थे कि बूथ स्तरीय अधिकारी (B.L.O.) की नियुक्ति में अध्यापकों को यथासंभव काम में नहीं लिया जायेगा। तथापि, यह ध्यान में आया है कि अन्य सरकारी स्टाफ की संख्या में अत्यधिक कमी के कारण अभी भी अध्यापकों को बूथ स्तरीय अधिकारियों के रूप में काम में लिया जा रहा है।

उपर्युक्त स्थिति पर विचार करते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने निम्नानुसार निदेश जारी किये हैं :–

1. जहां कहीं भी अध्यापन स्टाफ को नामावली पुनरीक्षण की ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O.) /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (E.R.O) इस कार्य के

लिए अवकाशों और अध्यापनेतर दिनों (non-teaching days) और अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) को ड्यूटी कालावधि के रूप में विहित करेंगे। ऐसे नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, नामावली पुनरीक्षण कार्य अध्यापन दिनों (teaching days) और अध्यापन समय (teaching hours) में नहीं करने के लिए कहा जा सकता है। नामावली पुनरीक्षण के दौरान, जहां कहीं भी अध्यापकों को, मतदाताओं को प्ररूप (प्ररूप 6, 7 आदि) उपलब्ध कराने के लिए और मतदाताओं से प्ररूप प्राप्त करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O.)/ निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (E.R.O.) ऐसे प्ररूपों को उपलब्ध कराने और प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) के दौरान विनिर्दिष्ट समय विहित करेगा। अधिमान रूप से अध्यापन समय (teaching hours) की समाप्ति के ठीक पश्चात् एक घंटे के समय को इस प्रयोजन के लिए नियत किया जायेगा। प्रचलित अध्यापन समय (prevailing teaching hours) पर निर्भर करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O.)/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (E.R.O.) विनिर्दिष्ट अनुदेश जारी करेगा और उसे पहले ही समस्त राजनीतिक दलों और जनता की जानकारी में लायेगा।

2. जहां कहीं भी पुनरीक्षण कालावधि के दौरान विशेष अभियान तारीखें विहित की जायें, ऐसे अभियान निरपवाद रूप से (invariably) केवल अवकाश के दिनों में ही आयोजित किये जायेंगे।

3. जब गहन पुनरीक्षण (intensive revision) आदिष्ट (ordered) किया जाना हो, पुनरीक्षण की अनुसूची अवकाशों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनायी जायेगी। यदि अध्यापन दिनों (teaching days) में घर–घर जाकर सत्यापन किया जाना हो तो ऐसा सत्यापन अध्यापन समय (teaching hours) के पश्चात् और अवकाशों में करने के लिए कहा जा सकता है।

4. जब कभी भी अध्यापकों को फोटो नामावली आदि में फोटो बेमेल (photo mismatch) होने के मामलों का पता लगाने हेतु घर–घर जाकर सत्यापन के प्रयोजन के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों के रूप में लगाया जाता है तो यह कवायद (exercise) अध्यापनेतर समय (non-teaching hours) और अवकाशों के दौरान की जायेगी।

5. जब कभी भी आवश्यकता हो, इस प्रयोजन के लिए प्रगणन कार्य (enumeration work) की कालावधि को बढ़ाया जा सकेगा ताकि प्रगणन कार्य (enumeration work), अध्यापन समय को बाधित (hampering) किये बिना संचालित हो जाये।

इसे समस्त संबंधित की जानकारी में लाया जाये।

कृपया प्राप्ति अभिस्वीकार करें।

भवदीय,

(आशीष चक्रवर्ती)